37–(08)–167–2014

पटना में दिनांक–24 फरवरी, 2014 सोमवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	गन्ना उद्योग विभाग	
1.	राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में त्वरित गति से विकास लाने हेतु चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु संशोधित प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति।	1. वापस लिया गया।
	स्वास्थ्य विभाग	
2.	स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न अस्पतालों में तदर्थ रूप से नियुक्त 04 (चार) विशेषज्ञ चिकित्सकों के नियमित नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।	2. स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग	
3.	"डी०एफ०आई०डी०" (DFID) सम्पोषित "स्वस्थ" (SWASTH) योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2013–14 में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कुल रू० 60,00,00,000/– (रू० साठ करोड़) मात्र के अनुदान की स्वीकृति।	3. स्वीकृत।
	आपदा प्रबंधन विभाग	
4.	"शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011" के नियम 6 के उप नियम (6) एवं (7) को संशोधित कर इन उप नियमों में प्रयुक्त "मुखिया" शब्द के स्थान पर "मुखिया या सरपंच या पंच या संबंधित वार्ड सदस्य" प्रतिस्थापित करने के संबंध में।	4. स्वीकृत।
	कृषि विभाग	
5.	कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु प्रत्येक दो पंचायत पर एक तथा प्रत्येक जिला में अवकाश रक्षित के रूप में पाँच कुल 4391 पदों पर कृषि समन्वयक की नियुक्ति हेतु "कृषि समन्वयक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2014 बनाने के संबंध में।	5. नियमावली के नियम 8 में कृषि विज्ञान के स्थान पर कृषि विज्ञान/पशु चिकित्सा/ मात्स्यिकी /कृषि अभियंत्रण/ उद्यान /वानिकी/गव्य तकनीकी को प्रतिस्थापित करते हुए स्वीकृति।

गृह विभाग
(सैनिक कल्याण निदेशालय)

6.	युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिक के निकटतम आश्रितों एवं विकलांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

7.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार में तकनीकी कर्मियों के पद सोपान की पुनर्सरचना, शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित करने एवं विभिन्न प्रशाखाओं को प्रभागवार नामित करने हेतु पुलिस हस्तक 1978 भाग 3 के परिशिष्ट 99 में संशोधन करने के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

गृह विभाग

8.	परिवीक्षा सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निदेशक, प्रोबेशन चर्या के गैर संवर्गीय पद को संवर्गीय पद के रूप में परिवर्तन के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9.	बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–38 पर दर्ज "कुल्हैया" जाति को विलोपित कर उसे अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–123 पर स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

10.	बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–23 पर दर्ज "राजवंशी (रिसिया या पोलिया)" जाति को विलोपित कर राजवंशी (रिसिया/देशिया या पोलिया) को अत्यंत पिछड़ें वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–122 पर स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली 2014 की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति। — 12. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

13. जनहित कार्य के लिए महावीर कैंसर संस्थान, पटना को PET CT Scan मशीन के क्रय हेतु रू० 13,00,00,000/- (तेरह करोड़) रूपये मात्र की सीमा तक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. बिहार स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 5,86,23,83,360/- (रूपये पाँच अरब छियासी करोड़ तेइस लाख तिरासी हज़ार तीन सौ साठ) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू० 32,00,00,000/- (रूपये बत्तीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर, भोजपुर को वित्तीय वर्ष 2013-2014 में कुल ₹ 2,09,00,000/- (दो करोड़ नौ लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान एवं व्यय की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

17. राज्य के नक्सल प्रभावित एवं सुरक्षा विहीन क्षेत्रों में 85 (पचासी) नये पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

18. बिहार पुलिस एवं बिहार सैन्य पुलिस में चालक सिपाहियों की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से इण्टरमीडिएट (10+2) करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

19. बलवाघाट बराज–सह–सिंचाई योजना का निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 50.21 करोड़ (पचास करोड़ इक्कीस लाख) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

20. अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के अधीन जिला कल्याण पदाधिकारी (वेतन बैण्ड–9300–34800/– + ग्रेड पे–5400/–) के पद से प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण (वेतन बैण्ड–15600–39100/– + ग्रेड पे–6600/–) पद पर नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति की प्रस्ताव। — 20. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

21. वित्तीय वर्ष 2013–14 में उद्योग मित्र योजना में अनुमानित व्यय की कुल राशि ₹1,20,00,000=00 (एक करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 21. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

22. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–127 में संशोधन के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

23. गर्दनीबाग क्षेत्र का जननिजी भागीदारी (पी०पी०पी०) के आधार पर विकास हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा इस प्रयोजन हेतु जननिजी भागीदार के चयन हेतु परामर्शी की नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

24. श्री अनिल कुमार, सहायक, सरकारी वास्तुविद को वरीय वास्तुविद (वेतनमान ₹ 15600–39100/– पी०बी०–3, ग्रेड पे–7600/–) के पद पर प्रोन्नति। — 24. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

25. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिर्णय के आलोक में बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

26. बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के संगठनात्मक संरचना हेतु कुल 93 पदों के सृजन के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

27. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल ₹ 15200.00 लाख (रूपये एक अरब बावन करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति तथा छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा एवं राज्य के अंदर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 27. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

28. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के विश्वविद्यालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वर्धित महँगाई भत्ते/महंगाई राहत/वेतनादि/पेंशनादि मद में कुल रूपये 1658273064/– (एक सौ पैसठ करोड़ बेरासी लाख तिहत्तर हजार चौसठ) मात्र की सहायता अनुदान की राशि स्वीकृति तथा विमुक्ति के संबधं में। — 28. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

29. ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के रख–रखाव हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2013 (Bihar Rural Road Maintenance Policy-2013) की स्वीकृति के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

30. बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के गठन के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

31. राज्य बुनकर और दस्तकार आयोग के गठन के संबंध में। — 31. स्वीकृत।